न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

पार्थी	ब	अप्रार्थीगण
बाटेल पुत्र रतनाराम जाति मेघवंशी उम्र 32 वर्ष निवासी डोडवाड़ियो का बास सिन्धपुरा तहसील कुचामनसिटी	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र रिकार्ड में शुद्धि / दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956

वाद–पत्र नम्बर 375 / 2021 GCMS No. 2021/433

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21.5.2021	वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र रिकार्ड में शुद्धि / दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनॉक 11.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
11.10.2021	पत्रावली पश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकीय अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 30/11/2021 को पेश हो	
12/11/2021	पत्रावली आज "प्रार्थना पत्र के रिकार्ड में शुद्धि दुरुस्ती" के संबंध में आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रस्तुत रजिस्ट्री [illegible] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कोर्ट नागौर के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रजिस्ट्री प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धारा 136 में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र रतनाराम [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] के आधार पर [illegible] का नाम बाबेल पुत्र रतनाराम है [illegible] पुष्टि में प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड नं. 659468619273, पहचान पत्र RAJ/0057679, राशन कार्ड 0083826/127, मतदाता कार्ड 484375 4463 PAN Card EROPB1844P भूमिदान प्रमाणपत्र क्र. 1582/26-12-07. T.C. 9.4.07 इत्यादि प्रस्तुत किए	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 16:16:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद / प्रार्थना-पत्र संख्या 375/2021 उनवान: आदेश 7 रूल 11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निकाय अवलोकन किया गया। वादहेतुक वाद पत्रावली का अवलोकन एवं स्वाध्ययन किया। अतः पत्रावली को पंजीकृत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर नियमानुसार के क्रमांक 116 में दर्ज पंजीकृत कार्यालय एवं स्वायत्त मेघवंशी के स्थान पर वादिनी एवं स्वायत्त मेघवंशी एवं पंजीकृत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं शेष यथावत बरकरार रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर करावे है।

अंकित आज दिनांक 12/11/2021 को मेरे आज-केम्प लीपनी में सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)
कैम्प आफ लीपनी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 16:16:16 IST
Reason: SelfAttested